



बीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222003

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित)
(NAAC A+ accredited University)



पत्रांक : १२८० / प्रवेश सेल / २०२५

दिनांक : १७.०६.२०२५

सेवा में,

१. समस्त साकारात्मक / निर्वेशक / विभागान्वक, विश्वविद्यालय परिसर।
२. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय, बीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
३. समस्त नोडल अधिकारी / समन्वयक-प्रवेश।

विषय- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त प्रवेश लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या ८९४ / सत्तार-३-२०२५-१९१६१४७ दिनांक ०८-०४-२०२५ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विश्वविद्यालयों एवं इनसे सम्बद्ध शैक्षणिक संस्थानों/महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासन के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-1067 प्रवेश सेल-2025 दिनांक-11.04.2025 द्वारा समर्थ के माध्यम से प्रवेश हेतु अनुरोध किया गया था।

अतः शासन के उक्त पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विश्वविद्यालय के समर्थ प्रवेश पोर्टल के लिंक <https://vbspua.dmsamarth.edu.in/> पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त ही पूर्व की भाँति महाविद्यालयों में प्रवेश लेना सुनिश्चित करायें। विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन के उपरान्त एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नं०(उदाहरण के लिए 25REG00000007) प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन नं० के माध्यम से प्राचार्य द्वारा अपने समर्थ लाइंग से प्रवेश को पोर्टल पर प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एप्रूवल के उपरान्त ही विद्यार्थी का एनरोलमेंट नं० जनरेट होगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जिस महाविद्यालय के प्राचार्य का लाइंग समर्थ पोर्टल पर नहीं बना है उनसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी, डॉ० आशुतोष कुमार सिंह के ई-मेल drashutoshvbspu@gmail.com से सम्पर्क कर समर्थ लाइंग बनवाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

मवदीय

कुलसचिव
17/5/25

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. परीक्षा नियन्त्रक, बीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
२. अध्यक्ष/समन्वयक समस्त प्रवेश समिति, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर।
३. निजी सचिव-कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
४. वेबमास्टर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव